

Ce/111-1781/16
19/08/16

संख्या:-747/XX(5)/16-16(हो0गा0)/2016

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 19 अगस्त, 2016

विषय:-मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-06.12.2015 को की गयी घोषणा संख्या-81/2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता एवं अनुरक्षण भत्ता निम्नवत् पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	राजपत्रित अधिकारी		अराजपत्रित अधिकारी	
	वर्दी भत्ता प्रति 03 वर्ष	अनुरक्षण भत्ता प्रति माह	वर्दी भत्ता प्रति 03 वर्ष	अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाह
1	3750/-रु०	120/-रु०	3000/-रु०	150/-रु०

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-107-होमगार्ड्स-04-भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत-06 अन्य भत्ते की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-98NP/XXVII(5)/2016, दिनांक-19.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

H.G. Sec

J. Com
P. B.

भवदीय,

19.8.2016

(विनोद शर्मा)

सचिव।

H.S.

क्रमश:-